मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशित वित्तीय विवरणो में प्रकटन -लेखे पर टिप्पणियां

प्रयोजन

वित्तीय विवरणों की "लेखे पर टिप्पणियां" में प्रकटीकरणों के मामले में अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर अनुबंध III - भाग क में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

ये अनुदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् एक्ज़िम बैंक, आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि., नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा टीएफसीआइ लि., पर लागू होंगे।

स्वरूप

1. प्रस्तावना

2. प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश

2.1 पूंजी

2.2 आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण

2.3 चलनिधि

2.4 परिचालन परिणाम

2.5 प्रावधानों से घट-बढ़

2.6 पुनर्रचित खाते

2.7 प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्विन्यास कंपनी को बेची गयी परिसंपत्तियां

2.8 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

2.9 ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़

2.10 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

2.11 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

2.11.1 समेकन का विस्तार

2.11.2 लेखा नीतियां

2.12 डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम

2.13 ऐसे एक्सपोज़र जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं का उल्लंघन किया है

2.14 कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर)

टिप्पणी

I. सीआरएआर तथा अन्य मानदंड

II. परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

III ऋण जोखिम (एक्सपोज़र)

IV पूंजीगत निधियां

V 'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा

VI परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा

VII परिचालनगत परिणाम

VIII प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना

अनुबंध - I ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता के संरचना के प्रकटन के लिए फार्मेट

अनुबंध - 2 व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश के संबंध में प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

मात्रात्मक प्रकटन

टिप्पणी

अनुबंध -3 :

भाग क : अधिक्रमण किए गए परिपत्रों तथा अनुदेशों की सूची

भाग ख : प्रकटीकरण मानदंडों से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश/निर्देशों के अन्य परिपत्रों की सूची

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटन -लेखे पर टिप्पणियां

1. प्रस्तावना

वित्तीय संस्थाओं में उनके द्वारा प्रकाशित अपने वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटन के स्वरूप और पद्धति में विद्यमान व्यापक विभिन्नता को देखते हुए उनके द्वारा अपनायी गयी प्रकटन पद्धतियों में एकरूपता लाने तथा उनके कार्यों की पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2001 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानदंड लागू किये थे । ऐसे प्रकटन जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रभावी थे और बाद में बढ़ाये गये, "लेखे पर टिप्पणियां" के भाग के रूप में करने होते हैं जिससे लेखा परीक्षक इस जानकारी को प्रमाणित कर सकें और इस तथ्य के बावजूद कि वही जानकारी प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अन्यत्र होती है । ये प्रकटन केवल न्यूनतम हैं और यदि कोई वित्तीय संस्था कोई अतिरिक्त प्रकटन करना चाहती हो तो उसे ऐसा करने के लिए सूचित किया जाएगा ।

2. प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश

विविध प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

2.1 पूंजी

(क) जोखिम भारित परिसपंत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) स्थायी जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात और अनुपूरक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात

(ख) श्रेणी II की पूंजी के रूप में जुटायी गयी तथा बकाया अधीनस्थ ऋण की राशि

(ग) जोखिम भारित परिसंपत्तियां-तुलन पत्र में शामिल होनेवाली और शामिल न होनेवाली मदों के लिए अलग-अलग

(घ) तुलन पत्र की तारीख को शेयर धारिता का स्वरूप

2.2 आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण

(ङ) निवल उधारों तथा अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक परिसंपत्तियों का प्रतिशत

(च) निर्दिष्ट परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणियों के तहत निवल परिसंपत्तियों की राशि और प्रतिशत

(छ) मानक परिसंपत्तियों, अनर्जक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम के रूप में होनेवाले निवेशों को छोड़कर) आयकर हेतु वर्ष के लिए किये गये प्रावधानों की राशि

(ज) निवल अनर्जक परिसंपत्तियों में घट-बढ़

(झ) निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों तथा कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण आदि जोखिम

- सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता ;
- सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह;
- सबसे बड़े 10 एकल उधारकर्ता;
- सबसे बड़े 10 उधारकर्ता समूह;

(उधारकर्ताओं/उधारकर्ता समूहों के नाम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है)

(ञ) कुल उधार परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़े पांच औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो तो) को ऋण एक्सपोजर

2.3 चलनिधि

(ट) रुपया परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संबंध में परिपक्वता अवधि का स्वरूप; तथा

(ठ) निम्नलिखित फार्मेट में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों तथा देयताओं की परिपक्वता अवधि का स्वरूप

मदें	**1 वर्ष के समान या उससे कम**	**एक वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक**	**3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक**	**5 वर्ष से अधिक से 7 वर्ष तक**	**7 वर्ष से अधिक**	**कुल**
रुपया परिसंपत्तियां						
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
रुपया देयताएं						
विदेशी मुद्रा देयताएं						
कुल देयताएं						
जोड़						

2.4 परिचालन परिणाम

(ड) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय

(ढ) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय

(ण) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ

(त) औसत परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ

(थ) प्रति कर्मचारी निवल लाभ

2.5 प्रावधानों में घट-बढ़

अनर्जक परिसपंत्तियों के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़ और निवेश संविभाग में मूल्यह्रास को निम्नलिखित फार्मेट में प्रकट किया जाना चाहिए :

I. अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (अग्रिम तथा अंतर कंपनी जमा के रूप में ऋणों, बांडों तथा डिबेंचरों को शामिल करते हुए)

(मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान

घटाएं : बट्टे खाते अतिरिक्त प्रावधान पुनरांकन

ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

II. निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान

ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

जोड़ें :

i. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान
ii. वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि खाते से विनियोग, यदि कोई हो

घटाएं :

i. वर्ष के दौरान बट्टे खाते
ii. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि खाते में अंतरण, यदि कोई हो

घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

2.6. पुनर्रचित खाते

ऋण परिसंपत्तियों और अवमानक परिसंपत्तियों/संदिग्ध परिसंपत्तियों, जो पुनर्रचना आदि के अधीन हैं, की कुल राशि अलग-अलग प्रकट की जाये ।

2.7. प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्विन्यास कंपनी को बेची गयी परिसंपत्तियां

जो वित्तीय संस्थाएं अपनी वित्तीय पंरिसंपत्तियां प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्विन्यास कंपनी को बेचती हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

क) खातों की संख्या

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्विन्यास कंपनी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)

ग) कुल प्रतिफल

घ) पहले के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल

ङ) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि

2.8. वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

तुलन पत्र पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाने चाहिए :

- स्वैप करार का अनुमानिक मूल धन;
- विनिमय का स्वरूप और शर्तें जिसमें ऋण और बाज़ार जोखिम तथा विनिमय रिकार्ड करने हेतु अपनायी गयी लेखा नीतियों के संबंध में जानकारी शामिल हो ;
- करार के तहत प्रतिपक्ष द्वारा अपना दायित्व निभा न पाने पर हुई हानि की मात्रा ;
- स्वैप करने पर संस्था द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक जमानत;
- स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई सकेंद्रण । विशिष्ट उद्योगों से संबंधित एक्सपोजरों या अत्यधिक अनुकूल कंपनी के साथ विनिमय संकेंद्रण के उदाहरण हो सकते हैं; और
- कुल स्वैप बही का "उचित" मूल्य । यदि विनिमय विशिष्ट परिसंपत्तियों, देयताओं या वायदों से संबद्ध किये गये हों तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो तुलन-पत्र की तारीख को संस्था प्राप्त करेगी या विनिमय करार समाप्त करने हेतु अदा करेगी । किसी व्यापारिक स्वैप के लिए प्रतिभूतियों का दैनिक बाज़ार मूल्य इसका मूल्य होगा ।

2.9. ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़

विनिमयों पर ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ का कारोबार करनेवाली वित्तीय संस्था तुलन-पत्र में 'लेखे पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में निम्नलिखित ब्योरा प्रकट करें :

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	वर्ष के दौरान विनिमय किये गये डेरिवेटिव्ज़ ब्याज दर व्यापार की काल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	
2	किये गये विनिमय डेरिवेटिव्ज़ ब्याज दर व्यापार की 31 मार्च .. . . . को बकाया काल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	
3	किये गये विनिमय डेरिवेटिव्ज़ ब्याज दर व्यापार की बकाया काल्पित मूल धन राशि और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	
4.	किये गये विनिमय डेरिवेटिव्ज़ ब्याज दर व्यापार बकाया का बाज़ार मूल्य और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	

2.10. गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किये गये निवेशों के जारीकर्ता की संरचना के ब्योरे और अनर्जक निवेशों को तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' में **अनुबंध I** में दिये गये फार्मेट में प्रकट करें ।

2.11. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

2.11.1 समेकन का विस्तार :

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुतकर्ता मूल संस्था को देशी और विदेशी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) के लेखांकन मानदंड -21 (एएस-21) के तहत जिन्हें विशिष्ट रूप में शामिल न करने की अनुमति दी गयी है ऐसी संस्थाओं को छोड़कर, सभी **सहायक संस्थाओं** के वित्तीय विवरण समेकित करने चाहिए । किसी सहायक का समेकन न करने के कारणों को समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट करना चाहिए । किसी खास संस्था को समेकन हेतु शामिल किया जाना चाहिए या नहीं यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी । यदि उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की यह राय है कि ऐसी कोई संस्था जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है, तो इस बारे में उन्हें "लेखे पर टिप्पणियां" में अपना अभिमत शामिल करना चाहिए ।

2.11.2 लेखा नीतियां :

एक समान लेनदेनों और एक जैसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण बनाया जाना चाहिए । (इस प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थाएं सहायक संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये गैर-एक समान लेखा नीतियों के लिए समायोजन विवरणों पर निर्भर रहें।) यदि यह व्यवहार्य न हो, तो समेकित वित्तीय विवरण में ऐसे मदों के उस अनुपात के साथ तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए जिस अनुपात में भिन्न-भिन्न लेखा नीतियां लागू की गयी हैं ।

2.12 डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में प्रकटन

सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं के जोखिम के प्रति एक्सपोज़र के संदर्भ में अर्थपूर्ण और उचित प्रकटन तथा जोखिम प्रबंधन के लिए उनकी उचित कार्य नीति आवश्यक है। डेरिवेटिव्ज़ में अपने जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटन हेतु न्यूनतम ढांचा **अनुबंध II** में दिया गया है। प्रकटन फार्मेट में गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्ष शामिल है और इसे डेरिवेटिव्ज़ में जोखिमों की तुलना में ऋण आदि निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, उद्देश्येां और नीतियों के संबंध में स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । तुलन पत्र के 'लेखों पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को ये प्रकटन 31 मार्च 2005 से करना चाहिए (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2005 से)।

2.13 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है

वित्तीय संस्था को उन एक्सपोजरों के मामले में जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणियां " में उचित प्रकटीकरण करने चाहिए।

2.14 कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडी आर)

टिप्पणियां :

(I) सीआरएआर तथा अन्य मानदंड

वित्तीय संस्थाओं के लिए वर्तमान पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार निर्धारित जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों को प्रकट किया जाये ।

(II) परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण के संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु, ऋण, अग्रिम तथा अनर्जक परिसंपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में लिया जाना चाहिए और उपर्युक्त 'ख' के प्रकटनों में शामिल किया जाना चाहिए :

(i) **बांड और डिबेंचर :** बांडों तथा डिबेंचरों को अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए जब :

- परियोजना वित्त के लिए प्रस्ताव के भाग के रूप मं डिबेंचर/बांड का निर्गम किया गया हो और उस डिबेंचर/बांड की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक हो ।

और

- वित्तीय संस्था के निर्गम में उल्लेखनीय (अर्थात् 10% या उससे अधिक) भाग हो ।

और

- निर्गम निजी तौर पर शेयर आबंटन का भाग हो अर्थात् उधारकर्ता ने वित्तीय संस्था से संपर्क किया हो और ऐसे सार्वजनिक निर्गम का भाग न हो जहां वित्तीय संस्था ने किसी आमंत्रण पर अभिदान किया हो ।

(ii) **अधिमान शेयर :** परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को छोड़कर अधिमान शेयरों को परियोजना वित्त के भाग के रूप में प्राप्त किया हो और उपर्युक्त (i) में निहित मानदंड को पूरा करता हो ।

(iii) **जमाराशि :** कंपनी क्षेत्र में रखी गयी जमाराशि ।

(III) ऋण जोखिम (एक्सपोज़र)

"ऋण एक्सपोज़र" में निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं, हामीदारी और इसी प्रकार की अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी । ऋण आदि जोखिम की सीमा निश्चित करने के लिए स्वीकृत सीमाओं या बकाया में से जो भी अधिक हो उसे विचार में लिया जाएगा। तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में, ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना वास्तविक बकाया के आधार पर की जाए जिसमें असंवितरित या अनाहरित वायदों को जोड़ा जाये ।

तथापि, जिन मामलों में संवितरण शुरू करना अभी बाकी है, एक्सपोज़र सीमा, स्वीकृत सीमा या करार के अनुसार उधारकर्ता कंपनी के साथ वित्तीय संस्था ने जो वायदा किया है उस सीमा तक के आधार पर ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना की जानी चाहिए ।

गैर-निधिक ऋण आदि जोखिम सीमा में विदेशी विनिमय और वर्तमान ऋण मानदंडों के अनुसार अन्य डेरिवेटिव्ज़ उत्पाद, जैसे मुद्रा स्वैप, ऑपशंस आदि में वायदा ठेकों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(IV) पूंजीगत निधियां

ऋण संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु पूंजीगत निधियां पूंजी पर्याप्तता मानदंडों (अर्थात् पूंजी स्तर I और स्तर II) के तहत निर्धारित कुल विनियामक पूंजी होगी ।

(V) 'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा

'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा वही होगी जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा समूह निवेश मानदंडों के अनुपालन में लागू की जाती है ।

(VI) परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा

परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता ढांचे के लिए वित्तीय संस्थाओं को जारी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निश्चित समय बकेट में विविध परिसंपत्तियों और देयताओं की मदों का वहन किया जाना चाहिए ।

(VII) परिचालनगत परिणाम

परिचालनगत परिणामों के लिए कार्यकारी निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष की समाप्ति पर, अनुवर्ती छमाही की समाप्ति पर तथा रिपोर्ट के अधीन लेखा वर्ष के अंत में विद्यमान अंकों के औसत के रूप में किया जाये । ("कार्यकारी निधियों" का अर्थ है वित्तीय संस्था की कुल परिसंपत्तियां)

(VIII) प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना

प्रति कर्मचारी निवल लाभ को निकालने के लिए सभी संवर्गों के सभी स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को विचार में लिया जाना चाहिए ।

अनुबंध I

ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता के संरचना के प्रकटन के लिए फार्मेट

क. किये गये निवेश के संबंध में जारीकर्ता की श्रेणियां

(तुलन-पत्र की तारीख को) (करोड़ रुपये)

क्रम सं.	**जारीकर्ता**	**राशि**	**राशि**			
			निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किया गया निवेश	**'निवेश श्रेणी के नीचे वाली' धारित प्रतिभूतियां**	**श्रेणी निर्धारण न की गयी' धारित प्रतिभूतियां**	**'सूची में शामिल न की गई ' प्रतिभूतियां**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम					
2	वित्तीय संस्थाएं					
3	बैंक					
4	निजी कंपनियां					
5	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम					
6	अन्य					
7	# मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल *					

कॉलम 3 में केवल धारित प्रावधान की कुल राशि प्रकट की जाए ।

*** टिप्पणियां :**

1. कॉलम 3 के जोड़ को तुलन पत्र की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ के साथ मेल खाना चाहिए :

क. शेयर

ख. डिबेंचर और बांड

ग. सहयोगी संस्थाएं/संयुक्त उद्यम

घ. अन्य

2. उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गयी राशियां आवश्यक रूप से परस्पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं होंगी ।

ख. अनर्जक निवेश

(करोड़ रुपये)

विवरण	राशि
आरंभिक शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां	
अंतिम शेष	
कुल धारित प्रावधान	

अनुबंध 2

व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश के संबंध में प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

वित्तीय संस्थाएं व्युत्पन्न साधनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगी जो व्युत्पन्न साधनों के उपयोग की मात्रा संबद्ध जोखिम और कारोबार के साध्य प्रयोजनों के विशिष्ट संदर्भ को लेकर होंगी । चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल किये जाएंगे :

- व्युत्पन्न साधनों के व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु ढांचा और संगठन ।
- जोखिम के मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का विस्तार और स्वरूप ।
- प्रतिरक्षा और/या जोखिम कम करने हेतु नीतियां और प्रतिरक्षा/जोखिम कम करनेवाले घटकों के निरंतर प्रभाव की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं, और
- प्रतिरक्षा तथा गैर-प्रतिरक्षा के लेनदेन; आय, प्रीमियम और बट्टों का निर्धारण; बकाया ठेकों का मूल्यन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम कम करने के रिकार्डिंग हेतु लेखा नीति ।

मात्रात्मक प्रकटन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न साधन	ब्याज दर व्युत्पन्न साधन
1.	**व्युत्पन्न साधन (आनुमानिक मूलधन राशि)**		
	क) प्रतिरक्षा के लिए		
	ख) व्यापार के लिए		
2.	**प्रतिभूतियों की दैनिक बाज़ार मूल्य स्थिति [1]**		
	क) परिसंपत्ति (+)		
	ख) देयता (-)		
3.	**ऋण निवेश [2]**		
4.	**ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)**		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव्ज पर		
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्ज पर		
5.	**वर्ष के दौरान अनुपालन किये गये 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम**		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	ख) व्यापार पर		

टिप्पणी :

1. डेरिवेटिव्ज के प्रत्येक प्रकार के लिए स्थिति के अनुसार परिसंपत्ति या देयता के अंतर्गत निवल स्थिति दर्शायी जाये ।

2. वित्तीय संस्थाएं डेरिवेटिव्ज उत्पादों के ऋण निवेश के मापन पर 20 जनवरी 2003 के परिपत्र डीबीएस. एफआइडी. सं. सी.12/01.02.00/2002-03 के अनुसार निर्धारित चालू निवेश पद्धति अपनाएं । अपनायी जानेवाली पद्धति संक्षेप में निम्नानुसार है :

चालू निवेश पद्धति के तहत तुलन-पत्र बाह्य ब्याज दर तथा विनिमय दर लिखतों के सममूल्य ऋण निवेश की गणना करने के लिए वित्तीय संस्था निम्नलिखित को जोड़ेगी :

- सकारात्मक मूल्यों (अर्थात् जब वित्तीय संस्था को प्रतिपक्ष से धन राशि प्राप्त होनी है) के साथ उसके सभी ठेकों की कुल प्रतिस्थापना लागत ('प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार मूल्य', द्वारा प्राप्त), और
- ऋण जोखिम में भविष्य में संभावित परिवर्तन के लिए राशि जिसका परिकलन ठेके की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अनुसार निम्नलिखित ऋण परिवर्तक घटकों द्वारा गुणा की गई ठेके की कुल आनुमानिक मूलधन राशि के आधार पर किया गया है :

शेष परिपक्वता अवधि	**आनुमानिक मूलधन राशि पर लागू किया जानेवाला परिवर्तक घटक**	
	ब्याज दर ठेका	**विनिमय दर ठेका**
एक वर्ष से कम	कुछ नहीं	1.0%
एक वर्ष और उससे अधिक	0.5%	5.0%

अनुबंध 3

भाग क

अधिक्रमण किए गए परिपत्रों तथा अनुदेशों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-18/ 01.02.00/ 2000-01	23.03.2001	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटन
2.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-14/ 01.02.00/ 2001-02	08.02.2002	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटन
3.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी - 1/01.02.00/ 2004-05	26.04.2005	व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश पर प्रकटन

भाग ख

प्रकटीकरण मानदंडों से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश/निर्देशों के अन्य परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस. एफआइडी. सं. 20/ 02.01.00/1997-98	04.12.1997	एकल/सामूहिक उधारकर्ताओं को मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के ऋण निवेश संबंधी सीमाएं
2.	एमपीडी. बीसी. 187/07.01.279/ 1999-2000	07.07.1999	वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली
3.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-9/ 01.02.00/ 2000-01	09.11.2000	दिशानिर्देश-निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यन
4.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-19/ 01.02.00/ 2000-01	28.03.2001	पुनर्व्यवस्थित लेखों के संबंध में व्यवहार
5.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-26/ 01.02.00/ 2000-01	20.06.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - 2001-02 - ऋण एक्सपोज़र मानदंड
6.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-6/ 01.02.00/ 2001-02	16.10.2001	निवेश के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश-आशोधन/ स्पष्टीकरण
7.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/ 2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
8.	आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03	03.06.2003	विनिमय व्यापार वाले ब्याज दर व्युत्पन्न साधनों पर दिशानिर्देश
9.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-5/ 01.02.00/ 2003-04	01.08.2003	समेकित लेखा-प्रणाली तथा समेकित पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश
10.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-11/ 01.02.00/ 2003-04	08.01.2004	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश